तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 48/2021 अनवान रूपाराम वगैरा बनाम गोगाराम वगैरा

नम्बर हुकम
तारीख ...
इस हुकम के तामील मे ...

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढ़ाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **08.10.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढ़ाणी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढ़ाणी पर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

08.10.2021

यह पत्रावली आज बमुकाम जांखड़ों की ढ़ाणी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढ़ाणी पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 465/150 रकबा 23.12 बीघा मौजा मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढ़ाणी में सुखाचार हेतु विप्रार्थी संख्या 05 से 14 के खसरा नंबर 396/304 रकबा 37.01 बीघा, खसरा नंबर 306 रकबा 0.07 बिस्वा व खसरा नंबर 307 रकबा 77.14 बीघा, खसरा नंबर 393/308 रकबा 1.04 बीघा में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल मिशल हो पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 465/150 रकबा 23.12 बीघा मौजा मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढ़ाणी मे आया हुआ है। प्रार्थी के खेत से अन्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। सड़क मार्ग से प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए निम्न प्रकार से खसरान् का रकबा बीच मे पड़ता है:– **ग्राम मण्डो का तला**

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नबरं	कुल रकबा	प्रस्तावित रास्ता	डी.एल.सी. दर से दुगुणी राशी
1	गुमना, राणा, अमेदा टीकमा पि0 नीम्बा कौम जाट सा0 देह खातेदार	393/308 किस्म बा. सो.	1.04 बीघा	1.04 बीघा	114074
2	राणाराम, भैराराम, दूदाराम पि0 खेताराम भीखीदेवी पत्नी खेताराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	307 किस्म बा.सो.	77.14 बीघा	0.07 बीघा	24753
3	वनदेवी पत्नी राणाराम हि0 1/2 रामदेवी पत्नी राणाराम हि0 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB शाखा बाड़मेर	396/304 किस्म बा. सो.	37.01 बीघा	0.08 बीघा	28289

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा मंडो का तला के खसरा नंबर 393/308, 368/204, 307, 396/304, 205, 206 का मौका निरीक्षण मय हल्का पटवारी जाखड़ों की ढ़ाणी के किया गया। रेकर्ड का अवलोकन किया गया, मौके पर उपस्थित लोगों से पुछताछ की गई। प्रार्थीपक्ष के खातेदारी खेत खसरा नंबर 203, 205 पर राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय का स्थगन आदेश है। आपसी विवाद के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तथा खसरा नंबर 206 में से रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण स्वयं का खसरा नंबर 205 में से रास्ता नहीं करने से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त चाहे गए खसरों में से रास्ता कनेक्टिविटी नही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना उचित नही है। उक्त खसरान् के खेत की कुल 1.19 बीघा भूमि संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्ग की आवश्यकता है। उक्त मार्ग हेतु आवश्यक मुआवजा राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजमे आम में रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम **मण्डो का तला** तहसील बाडमेर में प्रार्थी खेत खसरा नंबर 205 मे पहुँचने हेतु विप्रार्थी संख्या 05 एवं 06 के खसरा नंबर 396/304 रकबा 37.01 बीघा मे से 0.08 बिस्वा विप्रार्थी संख्या 07 से 10 के खसरा नंबर 307 रकबा 77.14 बीघा मे से 0.07 बिस्वा एवं विप्रार्थी संख्या 11 से 14 के खसरा नंबर 393/308 रकबा 1.04 बीघा मे से 1.04 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग कुल रकबा 1.19 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा का राशि 167116/– रूपये 02 गुणा अदा कर उक्त खसरें में से गुजरना पडेगा। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का काई मार्ग नही है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम **मण्डो का तला** तहसील बाडमेर में प्रार्थी खेत खसरा नंबर 205 मे पहुँचने हेतु विप्रार्थी विप्रार्थी संख्या 05 एवं 06 के खसरा नंबर 396/304 रकबा 37.01 बीघा मे से 0.08 बिस्वा विप्रार्थी संख्या 07 से 10 के खसरा नंबर 307 रकबा 77.14 बीघा मे से 0.07 बिस्वा एवं विप्रार्थी संख्या 11 से 14 के खसरा नंबर 393/308 रकबा 1.04 बीघा मे से 1.04 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग कुल रकबा 1.19 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा का राशि 167116/– का 02 गुणा मार्ग का कुल क्षैत्रफल 1.19 बीघा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग "गुलाबी" दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे।

तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी गुमना, राणा, अमेदा टीकमा पि0 नीम्बा कौम जाट निवासी मण्डों का तला तहसील एवं जिला बाड़मेर राणाराम, भैराराम, दूदाराम पि0 खेताराम भीखीदेवी पत्नी खेताराम कौम जाट निवासी मण्डों का तला तहसील एवं जिला बाड़मेर एवं वनदेवी पत्नी राणाराम हि0 1/2 रामदेवी पत्नी राणाराम हि0 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB शाखा बाड़मेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर